भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1755

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

ईएसआईसी पॉलिसीधारक

1755. श्री तालारी रंगैय्या:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में ईएसआईसी पॉलिसीधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत में ईएसआईसी के पॉलिसीधारकों के लिए अस्पतालों और औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या ईएसआईसी कोई नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारजन अधिनियम में उपलब्ध लाभों के हकदार हैं। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ईएसआई योजना के अंतर्गत 3.49 करोड़ बीमित व्यक्ति शामिल हैं।

(ख): ईएसआईसी बीमित व्यक्ति 159 ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों और 1442 ईएसआई औषधालयों से चिकित्सिय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ग): ईएसआईसी निगम ने भुवनेश्वर, ओडिशा में 150 बिस्तरों वाले एक नया ईएसआईसी सुपर स्पेश्यलटी अस्पताल स्थापित करने के लिए "सिद्धांत रूप में" स्वीकृती दे दी है, जिसमें 100 बिस्तर द्वितीयक देखभाल सेवाओं के लिए जबकि 50 बिस्तर 'सुपर स्पेश्यलटी सेवाओं के लिए है।

****